कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक–'ए' पुरूलिया रोड़, चास, बोकारो–827013

Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० – 8987790301

पत्रांक : ...., दिनांक : ....

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :– मेसर्स बी0सी0सी0एल0 की मुराईडीह कोलियरी परियोजना हेतु कुल 133.69 हे0 (46.17 हे0 वनभूमि एवं 87.52 हे0 जंगल–झाड़ी) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल का पत्रांक 931 दिनांक 19.04.2025 एवं पत्रांक 1107 दिनांक 15.05.2025।

महाशय,

मेसर्स बी0सी0सी0एल0 की मुराईडीह कोलियरी परियोजना हेतु कुल 133.69 हे0 (46.17 हे0 वनभूमि एवं 87.52 हे0 जंगल–झाड़ी) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 106 दिनांक 03.02.2023 द्वारा कुल 06 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। जिसके आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल के प्रासंगिक पत्र द्वारा उक्त पृच्छा का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन मंतव्य सहित समर्पित किया गया है, जो निम्नवत है :–

क्र0 सं0	पृच्छा बिन्दु	प्रयोक्ता अभिकरण का प्रतिवेदन	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
1.	विषयगत प्रस्ताव में जंगल–झाड़ी भूमि का संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र अप्राप्त है।	जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र आयुक्त, हजारीबाग द्वारा दिनांक 09.12.2024 को पत्रांक–39(ग)–03 (धनबाद)/2024/1524/रा द्वारा निर्गत किया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न की गई है। (छायाप्रति संलग्न)	आयुक्त हजारीबाग के पत्रांक 1524 दिनांक 09.12.2024 से निर्गत जंगल–झाड़ी भूमि के अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है। ANX – I
2.	वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत FRA प्रमाण पत्र अप्राप्त है।	वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् FRA प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में बरोरा एवं बरमसिया मौजा में वन अधिकार समिति के गठन के लिए ग्राम सभा दिनांक 03-07-2024 को किया गया था। उसके पश्चात बरोरा मौजा के लिए ग्राम सभा दिनांक 13-08-2024 को किया गया एवं ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में ग्राम सभा की अनुशंसा को सम्मिलित करते हुए FRA प्रस्ताव को उप–मंडल स्तरीय समिति को दिनांक 09-09-2024 को भेज दिया गया है। FRA प्रमाण पत्र Final approval से पूर्व जमा कर दिया जायेगा, जिसकी undertaking संलग्न है ।	वनाधिकार अधिनिमय, 2006 के तहत FRA प्रमाण–पत्र हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव उपमंडलीय समिति को भेजा गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गई है कि Final Approval के पूर्व समर्पित कर दिया जायेगा। वचनबद्धता की प्रति संलग्न है। ANNX- II

क्र0 सं0	पृच्छा बिन्दु	प्रयोक्ता अभिकरण का प्रतिवेदन	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
3.	विषयगत प्रयोजना में जंगल–झाड़ का रकबा 87.52 हे0 (51.96 हे0 गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि एवं 35.56 हे0 रैयती जंगल–झाड़ भूमि) अपयोजन हेतु प्रस्तावित है जबकि उपायुक्त को प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक 2556 दिनांक 14.02.2020 द्वारा अनापत्ति हेतु भेजे गए अनुरोध पत्र में जंगल–झाड़ का रकवा 128.36 एकड़ (51.95 हे0) उल्लेखित है। प्रस्ताव के साथ संलग्न उपायुक्त के ज्ञापांक 1407 दिनांक 11.04.2022 में वर्णित है कि "वर्ष 2005 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है। "इस भिन्नता कि स्थिति को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।	पार्ट–I बिन्दु संख्या– C (ii) a "No. of patches" में Patch के रकवा तथा KML के रकवा में भिन्नता को आवश्यक सुधार कर PARIVESH Portal पर upload कर दिया गया है। • Patch no. 1 का रकवा 5.79 हे0 जबकि Google earth में 5.88 हे0 दिखा रहा है जिसका कारण forest patch के अन्दर non forest land patch का होना है, Arc GIS/ किसी भी अन्य GIS software में Patch no. 1 का रकवा 5. 79 हे0 ही दिखा रहा है। • Patch no. 4 का रकवा 14.92 हे0 जबकि Google earth में 15.3 हे0 दिखा रहा है जिसका कारण forest patch के अन्दर non forest land patch का होना है, Arc GIS/ किसी भी अन्य GIS software में Patch no. 4 का रकवा 15.92 हे0 ही दिखा रहा है।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा KML में आवश्यक सुधार कर PARIVESH Portal पर upload कर दिया गया है। ANX – III
4.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल द्वारा प्रस्ताव के पार्ट– II के कंडिका– 11(i) में 47.62 हे0 वनभूमि में Violation प्रतिवेदित है, जिसमें Violation के Period of work done में 5 वर्षो का उल्लेख है। परन्तु वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्नवत् प्रतिवेदित है :– "During the inspection it was found that earlier over burden of mining was dumped over the forest land. The User Agency has shown this in the submitted maps. According to the report submitted by the User Agency OB Dumping was done over 34.38 ha. forest land and 74.72 ha. Jungle-Jhari land. After 1980 OB Dumping has been done over 11.27 ha. forest land and after 1996 OB Dumping was done over 31.35 ha. of Jungle-Jhari land. User Agency has agreed to pay for	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद द्वारा 47.62 हे० वन भूमि में Violation प्रतिवेदित है (Part II] point no-11) एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के संयुक्त निरिक्षण प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना 1980 के बाद OB Dumping हेतु 11.27 हे० वन भूमि एवं 1996 के बाद OB Dumping हेतु 31.35 हे० जंगल–झाड़ी भूमि कुल 42.62 हे० वन भूमि में कार्य किया गया है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि OB Dumping का कार्य 11.27 हे० अधिसूचिंत वन भूमि पर वर्ष 1980 के बाद एवं 36.35 हे0 जंगल झाडी भूमि पर वर्ष 1996 के बाद कुल 47.62 हे० वन भूमि पर भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का भुगतान करने के लिए Undertaking संलग्न किया गया है।	OB Dumping का कार्य 11.27 हे0 अधिसूचित वनभूमि पर वर्ष 1980 के बाद तथा 36.35 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि पर वर्ष 1996 के बाद किया गया है। अर्थात् कुल 47.62 हे0 वनभूमि पर भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना OB Dumping कर वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वचनबद्धता समर्पित किया गया है, जो संलग्न है। ANX - IV

क्र0 सं0	पृच्छा बिन्दु	प्रयोक्ता अभिकरण का प्रतिवेदन	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
	the Penal Compensatory Afforestation." चूँकि वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, बोकारो के उपरोक्त प्रतिवेदन अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना 1980 के बाद OB Dumping हेतु 11.27 हे0 वनभूमि एवं 1996 के बाद OB Dumping हेतु 31.35 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि कुल 42.62 हे0 वनभूमि में कार्य किया गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। साथ ही वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक द्वारा Violation हेतु प्रतिवेदित रकवा में भी विरोधाभाष है।		
5.	क्षतिपूरक वन रोपण हेतु मौजा–मकराटांड़ एवं उदयपुर में वन प्रमण्डल पदाधिकारी के उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं स्थल विशिष्ट योजना प्राक्कलन एवं DGPS map में अंकित प्लॉट में भिन्नता है।	DGPS map में आवश्यक सुधार कर PARIVESH portal पर upload कर दिया गया है।	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु DGPS map में आवश्यक सुधार कर PARIVESH Portal पर upload कर दिया गया है। कुछ स्थलों के उपयुक्तता के आलोक में परिवर्तित किया गया है, जिसका Toposheet Map संलग्न है। क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित 270.44 हे0 वनभूमि का संशोधित स्थल सूची, प्राक्कलन एवं उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न है। तदनुसार Part- II को संशोधित कर दिया गया है, जिसकी हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड की गयी map of the outer boundary of mining lease KML का area 720.00 ha. and applied forest land 133.69 + non forest area 584.02 ha. = 717.71 ha. में भिन्नता है।	KML में आवश्यक सुधार कर PARIVESH portal पर upload कर दिया गया है।	KML में आवश्यक सुधार कर PARIVESH Portal पर upload कर दिया गया है। Soft copy (C.D.) संलग्न है। ANX–VII

अतः प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की छः प्रतियाँ संलग्न समर्पित करते हुए अनुरोध है आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

<u>अनु0 :– यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन

ह0/–

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

ज्ञापांक 476, दिनांक 13/06/2025

प्रतिलिपि :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।